

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक: एफ 2(1397)/डीओआईटी/संस्था/13/1/12953/2013

जयपुर, दिनांक: 06/11/2013

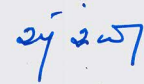
कार्यालय आदेश

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2013 में प्रोविजनल / अस्थाई आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति / पदस्थापन इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 11346 दिनांक 14.09.2013 के द्वारा किया गया था। उक्त आदेश के तहत सूचना सहायक के पद पर नवनियुक्त सूचना सहायकों को 45 दिवस अर्थात् दिनांक 28-10-2013 तक का कार्यग्रहण करना था।

विधान सभा आम चुनाव, 2013-आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के कारण नवनियुक्त सूचना सहायकों के कार्यग्रहण के संदर्भ में दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु प्रकरण चुनाव विभाग को प्रेषित किये जाने पर चुनाव विभाग से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार आदर्श आचार संहिता का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया गया तथा पाया गया कि चुनाव प्रक्रिया से काफी पूर्व में जारी विभाग के नियुक्ति/पदस्थापन आदेश चुनाव आचार संहिता से किसी प्रकार से प्रभावित प्रतीत नहीं होते हैं।

किन्तु चुनाव आचार संहिता को लेकर असमंजस की स्थिति के कारण कुछ नव नियुक्त सूचना सहायक कार्यग्रहण नहीं कर सकें। इसको दृष्टिगत रख इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 11346 दिनांक 14.09.2013 की निरन्तरता में प्रभावित सूचना सहायकों के कार्यग्रहण की समयावधि में दिनांक 18.11.2013 तक की अभिवृद्धि की जाती है।

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,



(संजय मल्होत्रा)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सू.प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
3. प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सू.प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर।
4. संबंधित सूचना सहायक.....।
5. रक्षित पत्रावली।



(संजय ज. कर्णिक)

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक)
एवं प्रभारी अधिकारी, संस्थापन